HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3788/2026

Shishpal S/o Jagram, Aged About 54 Years, Ward No. 10, Dholpaliya, Police Station Elnabad, Dist, Sirsa,haryana (At Present Lodged In Dist. Jail, Hanumangarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Achala Ram
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**टिब्बी, जिला–हनुमानगढ़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **40/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 420 एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में ट्रैक्टर को खुर्द–बुर्द करने के संबंध में परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में रमेश कुमार व महेश कुमार के नाम उल्लेखित किए हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त ने ट्रैक्टर को खुर्द–बुर्द किया हो, के संबंध में कोई आरोप नहीं है। प्रकरण में परिवादी द्वारा अन्य सहअभियुक्त मुकेश के साथ राजीनामा कर लिया गया है तथा मुख्य अभियुक्त रमेश कुमार के विरुद्ध धारा 173(8) के अंतर्गत मामला लंबित रखा है। प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में इस प्रकार की कोई सकारात्मक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी के धोखाधड़ी करके कोई

कूटरचित दस्तावेज रचे हो। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम दर्शित नहीं है और ट्रैक्टर को खुर्द–बुर्द करने के संबंध में परिवादी ने रमेश कुमार व मुकेश कुमार के नाम उल्लेखित किए हैं। प्रकरण के परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **शीशपाल पुत्र जगराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि

प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

2. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

3. इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

35-Yogeshwar Sharma/-